HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 650/2026
URN: CFA / 999U / 2026

Smt Bharti & Anr.

----Appellants

Versus

Dr. Ramesh Jain & Anr.

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Govind Lal Choudhary, Adv.
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

10/07/2026

S.B. Civil Misc. Stay Application No. 1944/2026 IN S.B. Civil First Appeal No. 650/2026:-

अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.02.2026 को विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है। इकरारनामा दिनांक 19.03.2012 को निष्पादित किया गया है, जबकि वाद दिनांक 18.03.2015 को संस्थित किया गया है। इकरारनामे की सत्यता व प्रत्यर्थी/वादीगण द्वारा इकरारनामे की पालना के लिए तत्परता के तथ्य के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप विवेचित नहीं किया गया है। इकरारनामा दिनांक 19.03.2012 में अंकित साक्षीगण भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही हुए हैं, इससे इकरारनामे का

निष्पादन व सत्यता संदेहजनक है। प्रत्यर्थी/वादीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के निष्पादन के लिए विद्वान जिला न्यायाधीश, कोटा के समक्ष निष्पादन प्रार्थना पत्र संख्या 21/2026 प्रस्तुत कर रखा है। यदि उक्त निष्पादन कार्यवाही पूर्ण हो जाती है, तो अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। अतः निष्पादन कार्यवाही स्थगित की जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2026 के अनुसार इकरारनामा प्रदर्श–1 के माध्यम से पुरूषोत्तम द्वारा वादी से 10 लाख रुपये प्रतिफल स्वरूप प्राप्त किया जाना बताया है। पुरूषोत्तम का स्वर्गवास हो चुका है और उसके विधिक प्रतिनिधि अपीलार्थीगण हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी को इकरारनामा दिनांक 19.03.2012 की विनिर्दिष्ट अनुपालना करवाने का अधिकारी नहीं माना है, लेकिन 20 लाख रुपये प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी होना माना है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थीगण 10 लाख रुपये की राशि आज से 30 दिवस में विद्वान विचारण न्यायालय में जमा करा दें, तो अपील के निस्तारण तक विद्वान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा में लंबित इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 21/2026 डॉ रमेश जैन मृतक जरिये कायम मुकामान बनाम श्रीमती भारती व अन्य में आगामी कार्यवाही स्थगित रहेगी। उक्त राशि प्रथमतः एक वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा की जाएगी तथा तत्पश्चात समय–समय पर नवीनीकृत होती रहेगी। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा उक्त राशि प्राप्त करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी तथा विद्वान विचारण न्यायालय दोनों

पक्षों को सुनकर उक्त राशि के वितरण के संबंध में विधि अनुरूप आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्तानुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

S.B. Civil First Appeal No. 650/2026:-

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/48